राजस्व आवेदन संख्या 117/2022
भीमसिंह बनाम तहसीलदार कल्याणपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 117/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/183

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
भीमसिंह पुत्र जोगसिंह जाति राजपूत निवासी सुरपुरा तहसील कल्याणपुर		राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री उम्मेदसिंह चंपावत अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 07/8/2025

1. संक्षिप्त में आवेदन–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुरपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 613/201 रकबा 12 बिस्वा व खसरा संख्या 614/201 रकबा 57.05 बीधा कुल रकबा 57.17 बीधा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसरान के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि खसरा संख्या 612/201 अवस्थित है,उक्त राजमार्ग संबधी कोई विवाद नही है। खसरा संख्या 613/201 का रकबा 12 बिस्वा नही होकर 17 बीधा है तथा खसरा संख्या 614/201 का रकबा 57.05 बीधा नही होकर 40.17 बीधा है,लेकिन रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि इन्द्राज के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतं विवादित आराजी के खसरा संख्या 613/201 रकबा 12 बिस्वा के स्थान पर रकबा 17 बीधा व खसरा संख्या 614/201 रकबा 57.05 के स्थान पर रकबा 40.17 बीधा दुरूस्ती करवाने हेतु आवेदन–पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुआ। विप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया गया। वक्त बहस विप्रार्थी अनुपस्थित रहे।

3. हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम सुरपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 613/201 रकबा 12 बिस्वा व खसरा संख्या 614/201 रकबा 57.05 बीधा कुल रकबा 57.17 बीधा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खसरान के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि खसरा संख्या 612/201 अवस्थित है,उक्त राजमार्ग संबंधी कोई विवाद नही है। खसरा संख्या 613/201 का रकबा 12 बिस्वा नही होकर 17 बीघा है तथा खसरा संख्या 614/201 का रकबा 57.05 बीघा नही होकर 40.17 बीघा है,लेकिन रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टि इन्द्राज के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। जबकि प्रार्थी की खातेदारी भूमि का रकबा दुरुस्त किए जाने पर कुल रकबा योग समान रहेगा। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गणितीय गलती के कारण प्रार्थी को किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नही हो रही है,जिसके कारण प्रार्थी परेशान हो रहा है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और निवेदन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार कल्याणपुर ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि प्रार्थी के रिकॉर्ड में गलत रकबा अंकन हो रखा है। अंत मे निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट अनुरूप प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जावे।

4.हमनें उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम सुरपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 613/201 व 614/201 कुल क्षेत्रफल 9.3644 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में अवस्थित है। जबकि तहसीलदार कल्याणपुर की तथ्यात्मक प्रतिवेदन अनुसार मूल खसरा संख्या 201 रकबा 129.15 बीघा मे से सड़क का निर्माण होने से रकबा 8.08 बीघा भूमि नामान्तकरण संख्या 111/19.4.1975 की स्वीकृति से सड़क के नाम दर्ज होने से मूल खसरा संख्या 201 विभाजित होकर तीन खसरे सृजित हुए,जिसमे खसरा संख्या 201/3 रकबा 8.08 बीघा किस्म गै.मु.सड़क एवं खसरा संख्या 201/4 रकबा 6.06 बीघा व खसरा संख्या 201 रकबा 115.01 बीघा खातेदार के नाम दर्ज हुआ। तत्पश्चात खसरा संख्या 201/3 नया खसरा संख्या 612/201 रकबा 1.3597 हैक्टयर किस्म गै.मु. सड़क व खसरा संख्या 201/4 नया खसरा संख्या 613/201,615/201 कुल रकबा 1.0198 हैक्टयर की बजाय खसरा संख्या 613/201 रकबा 3.2860 हैक्टयर व खसरा संख्या615/201 रकबा 0.9227 हैक्टयर मौके पर बने। इसी प्रकार खसरा संख्या 201 मे से नया खसरा संख्या 614/201 रकबा 9.2673 हैक्टयर की बजाय 6.0784 हैक्टयर मौके पर बने। मौके पर पक्की डामर सड़क बनी हुई है। नामान्तकरण संख्या 111 अनुसार सड़क की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज करते समय सड़क से विभाजित होकर नये दर्ज हुए बटटा नम्बर खसरो का रकबा बरारी करते समय सहवन से गलत रकबा दर्ज हुआ है। इस प्रकार तहसीलदार कल्याणपुर द्वारा खातेदार का कब्जा ऑनलाईन नक्शे मे दर्ज तरमीम अनुसार खसरा संख्या 613/201 रकबा 0.12 बिस्वा के स्थान पर रकबा 20.06 बीघा व खसरा संख्या 614/201 रकबा 57.05 बीघा के स्थान पर 37.11 बीघा दुरूस्त किए जाने की अनुशंष की गई है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत यह साबित है कि रेकर्ड मे खसरान का रकबा गलत अंकन हो रखा है,जो कि प्रार्थी दुरूस्त करवाने का हकदार है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

7.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी विवादित भूमि का रकबा दुरुस्ती करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–सुरपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 613/201 रकबा 0.12 बिस्वा (0.0971) के स्थान पर रकबा 20.06 बीघा (3.2860 हैक्टयेर) व खसरा संख्या 614/201 रकबा 57.05 बीघा के स्थान पर 37.11 बीघा (6.0784 हैक्टयर) दुरुस्त किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में अमल दरामद किया जाता सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ बालोतरा ★ (उ.अ.)

(अशोक कुमार) 07/08/25
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 07/8/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी 07/08/25
बालोतरा